lpm/akt/1a/1100/07.07.09

अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का पहला दिवस संख्या 1

मंगलवार,

7 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

श्री अध्यक्षः राम-राम साहब।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आज चेहरे पर चमक कुछ कम नजर आ रही है कहीं बजट की परछाई तो नहीं है।

श्री अध्यक्षः चश्मे का नम्बर ठीक कराइए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चश्मा ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः नहीं है तो ले लीजिए।

सभापति तालिका

मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अंतर्गत मैं मेजर ओ. पी. यादव, सदस्य को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं।

अनुपस्थिति अनुमति

कानसिंह कोटड़ी श्री को 7 जुलाई, 09 से

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य विधान सभा ने दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण दिनांक 7 जुलाई, 2009 से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

प्रमोद जैन (भाया) श्री को 7 जुलाई, 09 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रमोद जैन (भाया) सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 7 जुलाई,2009 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

मलखान सिंह श्री को 7 जुलाई से 15 जुलाई, 09 तक

मुझे सूचित करना है कि श्री मलखान सिंह, सदस्य विधान सभा ने चीन एवं मकाऊ की विदेश यात्रा के कारण दिनांक 7 जुलाई,2009 से दिनांक 15 जुलाई, 2009 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सदस्य का त्याग पत्र

किरोड़ी लाल मीणा डा0 का सदन की सदस्यता से त्याग पत्र

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि तेरहवीं राजस्थान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोडाभीम (अनुसूचित जनजाति) जिला करौली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य डा. किरोड़ी लाल मीणा विभाजन संख्या-35 ने लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र दौसा

(अनुसूचित जनजाति) जिला दौसा से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने के फलस्वरूप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 173 (2) के अंतर्गत दिनांक 29 मई, 2009 को राजस्थान विधान सभा सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है। उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।

रघुवीर सिंह श्री का सदन की सदस्यता से त्याग पत्र

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि तेरहवीं राजस्थान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर (अनुसूचित जनजाति) जिला उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री रघुवीर सिंह विभाजन संख्या-138 ने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर (अनुसूचित जनजाति) जिला उदयपुर से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के फलस्वरूप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 173 (2) के अंतर्गत दिनांक 31 मई, 2009 को राजस्थान विधान सभा सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है। उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।

श्री सचिव।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में कार्य संचालन करते समय जब सदन में शांति होती है उस समय जो कार्य पारित होता है, उसको पारित किया जाना माना जाता है। माननीय सदस्यों को यह भी पता नहीं है कि पिछली बार सदन में हँगामे में किन-किन विधेयकों को पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जो विधेयक आए हैं, पहले पारित हुए हैं उनके बारे में पूर्व जानकारी हो और फिर उसके बाद में सचिव महोदय सदन के पटल पर रखे तब तो ठीक है और अव्यवस्था में जो पारित किए गए हैं, उनको पारित किया हुआ माना भी नहीं जाता है। इसलिए इस विषय पर मैं समझता हूं कि आप ठीक से व्यवस्था करे तो उचित रहेगा। कौन-कौनसे विधेयक पारित किए गए यह रखे पटल पर। जैसे कल मैंने पूछा कि महिलाओं का जो आरक्षण है वह कितना प्रतिशत है तो उन्होंने कहा यह 50 से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बिल वापस लिया गया। इसकी आज तक जानकारी नहीं है। जब लॉटरी निकल रही है तब लोगों को जानकारी मिल रही है। इसलिए आवश्यक है कि कौन-कौन से बिल उस समय पारित हुए थे हँगामे के बीच में उनका

अगर ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से वह रखे जाएंगे तब ही उनका महत्व है। उनका ज्ञान ही नहीं है तो क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य वैसे आपके बारे में मुझे यह भ्रम नहीं है कि इन सब चीजों का ज्ञान आपको नहीं हुआ होगा और जो स्थिति पैदा की गई थी मैंने तो बहुत प्रार्थना की थी कि माननीय सदस्य संचालन चलने दे इसका। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों में मजबूरी से आगे कार्यवाही चलानी पड़ी। फिर भी यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधान सभा: महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(1) राजस्थान विनियोग संख्या-2 विधेयक,2009

(2) राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या-3 विधेयक,2009

(3) राजस्थान नगरपालिका (विधियां निरसन और पुनः प्रवर्तन) विधेयक,2009

अध्यादेश

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश,2009

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश,2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-2) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश जारी होने के कारण भी रखने जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य इसके संबंध में कारण की जो आपने चर्चा की, जब बिल रखा जाएगा तो उसके कारणों पर विवेचना हो जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यादेश जारी होने के कारण सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कारण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए असम के राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर, पुडुचेरी के उप राज्यपाल, पूर्व मंत्री और विधायक श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, पश्चिम बंगाल एवं पंजाब

के पूर्व राज्यपाल श्री भैरवदत्त पाण्डे, असम और नागालैण्ड के पूर्व राज्यपाल श्री लोकनाथ मिश्र, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री गुमान मल लोढ़ा और श्री रामजीलाल यादव, इस विधान के पूर्व सदस्य श्री खंगार सिंह चौधरी, श्री चुन्नी लाल मेघवाल, श्री मानिक चन्द कोठारी और डॉ. गौरीशंकर आचार्य, देश के प्रथम जिला प्रमुख चौधरी श्री लिखमाराम तथा बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

असम के राज्यपाल तथा राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर का जन्म 14 फरवरी,1926 को मध्य प्रदेश के मढ़ी कानूनगो में हुआ। आपने आगरा विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा मुम्बई के स्कूल फॉर ट्रेनिंग इन लेबर वैलफेयर से श्रम कल्याण में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की।

श्री शिवचरण माथुर चौथी, पाँचवी तथा सातवीं से नौवीं तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप तीसरी तथा दसवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। श्री माथुर 14 जुलाई,1981 से 23 फरवरी, 1985 तथ 20जनवरी, 1988 से 2 फरवरी, 1989 तक राजस्थान के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आपको दिनांक 4 जुलाई, 2008 को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

भीम/अरुण/07.07.2009/11.10/1b

आप मृत्युपर्यंत इस पद पर आसीन रहे। लगभग चार दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1967 से 1972 तक शिक्षा, ऊर्जा, जन सम्पर्क एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वर्ष 1973 से 1977 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं आयोजना विभाग के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन समिति 'क' के सभापति और नियम समिति के सदस्य रहे। श्री माथुर 10वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान विशेषाधिकार समिति के सभापति और ऊर्जा सम्बन्धी उप समिति के संयोजक भी रहे।

कुशल प्रशासक श्री माथुर ने वर्ष 1999 से 2003 तक राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए प्रशासनिक सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। आप वर्ष 1956 से 1957 तक भीलवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष तथा वर्ष 1960 से 1964 तक जिला परिषद्, भीलवाड़ा के जिला प्रमुख रहे। आप सामाजिक नीति शोध संस्थान, जयपुर के आजीवन सभापति रहे।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री माथुर ने मुख्यमंत्री के रूप में आम जनता की सेवा के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये तथा गरीबों एवं निचले तबके के लोगों

के उत्थान हेतु कार्य किये। श्री माथुर जाति एवं धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक मूल्यचों के प्रबल समर्थक रहे।

स्वाधीनता सेनानी श्री माथुर ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री माथुर के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक तथा जनप्रिय नेता खो दिया है।

श्री शिवचरण माथुर का दिनांक 25 जून, 2009 को निधन हो गया है।

पुडुचेरी के उप राज्यपाल तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री गोविन्द सिंह गुर्जर का जन्म 9 मार्च, 1932 को कोटा में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर वर्ष 1980 से 2008 तक सातवीं से बारहवीं राजस्थान विधान सभा तक लगातार 6 बार नसीराबाद से कांग्रेस के विधायक रहे। अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में आप जुलाई, 1981 से मार्च, 1985 तक राजस्थान सरकार के भेड़, ऊन एवं वन विभाग के स्वतंत्र प्रभार सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री, 1988 से 1989 तक कृषि तथा खाद्य एवं आपूर्ति, आबकारी, वन, पर्यावरण आदि विभागों के तथा मई, 2002 से दिसम्बर, 2003 तक कृषि, पंचायती राज एवं विकास विभाग के मंत्री रहे। विधान सभा में आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, नियम समिति, जन लेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा प्राक्कलन समिति 'ख' के सदस्य रहे। आप वन, भेड़ एवं ऊन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति रहे। बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान 23 जुलाई, 2008 को आपको पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। आप मृत्युपर्यंत इस पर पर आसीन रहे।

श्री गुर्जर अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1964 से 1974 तक सिविल एरिया कमेटी, नसीराबाद के उपाध्यक्ष एवं पदेन चेयरमेन, वर्ष 1981 से 1985 तक राज्य कृषक समाज के अध्यक्ष, जुलाई, 1981 से मार्च, 1985 तक केन्द्रीय वन्य जीव मण्डल एवं पर्यावरण समिति, नई दिल्ली के सदस्य, भारतीय कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे श्री गुर्जर वर्ष 1980 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मनोनीत सदस्य भी रहे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर का दिनांक 6 अप्रेल, 2009 को निधन हो गया।

पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री भैरवदत्त पाण्डे का जन्म 17 मार्च, 1917 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.एससी. तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री भैरवदत्त पाण्डे 12 सितम्बर, 1981 से 10 अक्टूबर, 1983 तक पश्चिम बंगाल तथा 10 अक्टूबर, 1983 से 3 जुलाई, 1984 तक पंजाब के राज्यपाल पद पर आसीन

रहे। इस दौरान आप 1 जून से 3 जुलाई, 1984 तक चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे।

श्री पाण्डे वर्ष 1938 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए तथा बिहार के गया जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। आप वर्ष 1939 से 1959 तक बिहार राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। श्री पाण्डे वर्ष 1960 में केन्द्रीय सेवाओं में आये तथा भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव सहित केबिनेट सचिव के पद पर भी रहे। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमेन सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे। प्रशासन में आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2000 में आपको 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री पाण्डे ने 'उत्तराखण्ड सेवा निधि' नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना कर समाज सेवा में योगदान दिया।

श्री भैरव दत्त पाण्डे का दिनांक 2 अप्रेल, 2009 को निधन हो गया।

असम के पूर्व राज्यपाल श्री लोकनाथ मिश्र का जन्म 19 नवम्बर, 1922 को उड़ीसा के पुरी जिले के बानपुर में हुआ। आपने गोदावरी विद्यापीठ, बानपुर तथा रावेनशॉ कॉलेज, कटक में शिक्षा प्राप्त की।

श्री लोकनाथ मिश्र 17 मार्च, 1991 से 31 अगस्त, 1997 तक असम के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान आप 13 अप्रेल, 1992 से 1 अक्टूबर, 19993 तक नागालैण्ड के राज्यपाल भी रहे। दिनांक 17 से 25 मार्च, 19991 तक आपके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। श्री मिश्र वर्ष 1960 से 1978 तक तीन बार उड़ीसा से राज्य सभा के सांसद रहे। संसदीय कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सभापति तथा सभापति पैनल के सदस्य रहे। आप राजकीय उपक्रम समिति तथा राजभाषा समिति के सदस्य भी रहे। आपने राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के अनेक सम्मेलनों में भाग लिया।

श्री मिश्र पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहे। अभिनय में रुचि रखने वाले श्री मिश्र अखिल उड़ीसा अभिनेता संघ के अध्यक्ष तथा रिव्युइंग कमेटी ऑफ द नेशनल एकेडमीज के सदस्य रहे। आपने उड़िया दैनिक 'गणतंत्र' का सम्पादन किया। देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपके अनेक लेखा प्रकाशित हुए हैं।

श्री लोकनाथ मिश्र का दिनांक 27 मई, 2009 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं सांसद श्री गिरधारी लाल भार्गव का जन्म 11 नवम्बर, 1936 का जयपुर में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव पांचवीं, छठी तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में सदस्य रहे। आप वर्ष 1989 से 2009 तक लगातार नौवीं से चौदहवीं लोक सभा तक जयपुर से

सांसद रहे। आप पांचवीं राजस्थान विधान सभा में जयपुर के हवामहल निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के, तथा छठी एवं आठवीं राजस्थान विधान सभा में किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल में आप पुस्तकालय समिति तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति रहे। आप प्राक्कलन समिति तथा याचिका समिति के सदस्य भी रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति के सभापति तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

मृदुभाषी, मिलनसार तथा सरल व्यक्तित्व के धनी श्री भार्गव वर्ष 1978 से 1980 तक जयपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष रहे। आजीवन मजदूरों के लिए संघर्षरत रहे श्री भार्गव जयपुर ठेली मजदूर संघ के अध्यक्ष, भारतीय रिक्शा/ऑटो चालक संघ जयपुर, फल सब्जी संघ तथा कच्ची बस्ती विकास समिति के महामंत्री रहे। आप राजस्थान पुस्तकालय संघ, जयपुर के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा कैदियों के लिए गठित सलाहकार समिति एवं दूरभाष सलाहकार समिति के सदस्य रहे। श्री भार्गव चार बार जयपुर नगर परिषद् के सदस्य भी रहे।

सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे श्री भार्गव जनता के कल्याण से सम्बद्ध अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। श्रेष्ठ संसदीय परम्पराओं के समर्थक रहे श्री भार्गव संसद की कार्यवाही में सक्रियता से भाग लेते रहे। आपके निधन से देश और प्रदेश ने एक जनप्रिय नेता खो दिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव का दिनांक 8 मार्च, 2009 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं सांसद श्री गुमानमल लोढ़ा का जन्म 15 मार्च, 1926 को नागौर जिले के डीडवाना कस्बे में हुआ। आपने बी.कॉम., एलएल.बी., विशारद् तथा प्रयाग से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सदस्य तथा सभापति रहे। आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति तथा कार्य सलाहकार समिति एवं सभापति पैनल के सदस्य भी रहे। श्री लोढ़ा वर्ष 1989 से 1997 तक नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं लोक सभा में पाली से सांसद रहे। कुशल राजनीतिज्ञ रहे श्री लोढ़ा लोक सभा में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति, सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी सिमति, वित्त मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे।

प्रसिद्ध न्यायविद् श्री लोढ़ा वर्ष 1978 से 1988 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश तथा वर्ष 1988 में असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायिक

क्षेत्र के अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान आपने आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों के शुभारंभ के साथ ही अनेक सुधार किये। वर्ष 1951 से 1978 तक अधिवक्ता रहे श्री लोढ़ा राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसासियेशन के अध्यक्ष तथा बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान के सदस्य रहे। भारतीय न्याय प्रणाली में आपके उत्कृष्ट योगदान को सदैव याद किया जायेगा।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री लोढ़ा ख्यात नाम लेखक भी थे। लॉ, मॉरेलिटी एंड पोलिटिक्स, जुडिशियरी : फ्यूम्स, फ्लेक्स एंड फॉयर, न्यायपालिका की अग्नि परीक्षा आदि आपकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनके अलावा देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रहे श्री लोढ़ा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी विभिन्न आन्दोलनों में सक्रियता से भाग लिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा का दिनांक 22 मार्च, 2009 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक एवं सांसद श्री रामजीलाल यादव का जन्म 22 मई, 1922 को अलवर जिले की बहरोड़ तहसील के गुआना ग्राम में हुआ। आपने गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर एवं अस.डी. कॉलेज, कानपुर से बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

कैलाश/अरुण 07.07.2009 11.20 (1) **1c**

श्री रामजीलाल यादव पहली राजस्थान विधान सभा में बहरोड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे । श्री यादव छठी तथा नौवीं लोक सभा के सांसद भी रहे । अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान आप राजभाषा समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तथा उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे ।

श्री यादव अलवर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे । अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1969 से 1971 तक जिला परिषद के सदस्य रहे । किसानों के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे श्री यादव वर्ष 1945 में ही ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सक्रिय हो गये थे ।

श्री रामजीलाल यादव का दिनांक 17 मई, 2009 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री खंगार सिंह चौधरी का जन्म 5 मई, 1926 को पाली जिले के देवली ग्राम में हुआ । आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की ।

श्री खंगार सिंह चौधरी छठी, आठवीं, नौवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में खारची निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे । आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी तथा आठवीं, नौवीं और दसवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे । विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति 'ख' तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे ।

सरल और सौम्य स्वभाव वाले श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में तीन बार देवली ग्राम पंचायत के सरपंच रहे । वर्ष 1960 से 1964 तक आप कृषि स्थायी समिति तथा मारवाड जंक्शन पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे । श्री चौधरी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे ।

श्री खंगार सिंह चौधरी का दिनांक 20 जून, 2009 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल मेघवाल का जन्म 6 अगस्त, 1943 को चूरू जिले के सालासर कस्बे में हुआ । आपने पी.यू.सी. तक शिक्षा प्राप्त की ।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल आठवीं राजस्थान विधान सभा में सुजानगढ सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे । विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे । दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे श्री मेघवाल वर्ष 1972 में अनुसूचित जाति सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे ।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल का दिनांक 2 मई, 2009 को निधन हो गया ।

पूर्व सदस्य श्री मानिक चन्द कोठारी का जन्म 4 मई, 1921 को जोधपुर में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की ।

श्री मानिक चन्द कोठारी दूसरी राजस्थान विधान सभा के लिए जायल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए । विधान सभा में आप विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहे ।

प्रारम्भ से ही कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री कोठारी वर्ष 1946 से 1950 तक कांग्रेस कमेटी, नावां तथा वर्ष 1950 से 1955 तक नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे । आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे ।

श्री मानिक चन्द कोठारी का दिनांक 27 जून, 2009 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक डा. गौरीशंकर आचार्य का जन्म 5 नवम्बर, 1915 को गंगानगर जिले के भादरा कस्बे में हुआ । आपने एम.ए., पीएच.डी., वेदान्त आचार्य तथा विद्या भास्कर की उपाधियां प्राप्त कीं ।

डा. गौरीशंकर आचार्य पहली राजस्थान विधान सभा के लिए रतनगढ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1955 में हुए उप चुनाव में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए । विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे ।

स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले डा. आचार्य बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य रहे । आप वर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में स्थापित लोकप्रिय मंत्रिमण्डल में शिक्षा, रेल तथा विद्युत मंत्री रहे । अध्ययन में रुचि

रखने वाले डा. आचार्य बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा साहित्य समिति एवं हिन्दी विद्यापीठ, सरदारशहर के संस्थापक रहे । आप गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष रहे । डा. आचार्य गुरुकुल कांगडी के 5 वर्ष तक कुलपति तथा लगभग 15 वर्ष तक अध्यक्ष रहे ।

डा. गौरीशंकर आचार्य हिन्दी विश्व भारती, बीकानेर के संस्थापक सदस्य, राजस्थान आयुर्वेद बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड तथा शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं सदस्य रहे। राजस्थान गौशाला संघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे श्री आचार्य अखिल भारतीय गौशाल संघ के मंत्री भी रहे ।

डा. गौरीशंकर आचार्य का दिनांक 28 जून, 2009 को निधन हो गया ।

भारत के पहले जिला प्रमुख चौधरी श्री लिखमाराम का जन्म 22 जून,1922 को नागौर जिले के जनाणा ग्राम में हुआ । आपने जसवंत कालेज, जोधपुर से बी.ए. तथा सनातन धर्म कालेज, कानपुर से एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं ।

श्री लिखमाराम ने वर्ष 1946 में विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद नागौर में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया । युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए आप राजनीति से जुड गये । श्री लिखमाराम मूण्डवा पंचायत समिति के प्रधान निर्वाचित हुए । इसके बाद नागौर में 2 अक्टूबर, 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की नींव रखने से 6 दिन पूर्व दिनांक 27 सितम्बर, 1959 को आप जिला प्रमुख बने । पंचायती राज के उद्घाटन के साथ ही श्री चौधरी देश में पहले जिला प्रमुख के रूप में लोकप्रिय हुए । समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने वाले श्री लिखमाराम 7 अगस्त, 1977 तक जिला प्रमुख के पद पर रहे ।

लम्बे समय तक कांग्रेस में सक्रिय रहे श्री चौधरी शिक्षा, रोजगार तथा आधुनिक कृषि के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे । खेतीहर किसानों को शोषण से मुक्त करा कर समाज में उचित स्थान दिलाने वाले चौधरी लिखमाराम चार वर्ष तक 'भारत सेवक समाज' के अध्यक्ष भी रहे ।

चौधरी श्री लिखमाराम का दिनांक 30 जून, 2009 को निधन हो गया ।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें ।

दिनांक 1 जून, 2009 को धौलपुर से मुरैना जा रही एक निजी मिनी बस अनियंत्रित होकर चम्बल पुल से नीचे गिर गई । इस हृदय विदारक दुर्घटना में 34 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये ।

मैं इस बस दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए पीडित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं ।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट खडे रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(तत्पश्चात् सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर
दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 08.07.2009 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.28 बजे बुधवार
दिनांक 08.07.2009 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)